



61

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्रमांक/2018

प्रस्तुती दिनांक 17/04/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2018/2495

1. पोपट कुमार पिता श्री डाडमचंद गंग पीचा

2. श्रीमती सागरबाई पति स्व. डाडमचंद

दोनो निवासी:- ग्राम थांदला, तहसील थांदला

जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

....प्रार्थीगण

विरुद्ध

बदिया पिता नेवा, जाति पटेलिया,

फतिया पिता नेवा, जाति पटेलिया,

दोनो निवासी:- ग्राम देवीगढ, तहसील मेघनगर

जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

3. महेश पिता सुरजमल महाजन

4. दिलीप पिता सुरजमल महाजन

5. प्रवीण पिता सुरजमल महाजन

6. अरविन्द पिता कान्तू

प्रतिप्रार्थीगण क्रमांक 03 से 06

सभी निवासी :- ग्राम थांदला तहसील थांदला,

जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

1959 के अंतर्गत

श्रीमान् अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2017-18 में दिनांक 08/03/2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

(Signature)



अविस्त.....(2)



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2018/2495

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । अनावेदक को सूचना दिया जाये ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	